31/2016 सत्यनारायण सैनी-- गोपीराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
9-7-18	प्रार्थी स्वय उपस्थित । अप्रार्थी के वकील उपस्थित । बहस सुनी गई । प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 4-3-2008 को आराजी खसरा नं0 894/5 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 894/8 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वावर्तमान सैटलमेन्ट के अन्तर्गत आराजी ख0नं0 177, 178 कुल किता-2 रकबा 1.13 हैक्टर ठिकाना समय में प्रार्थी के दादाजी मन्सुख वल्द जीवा के नाम जयपुर स्टेट खसरा गिरदावरी एवं माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24-3-2008 में दर्ज है। जो रा0उ0प्रा0वि0 जीवा की ढाणी को भंवन एवं खेल मैदान के लिये आवंटित की गई है । जिसके खेल मैदान का पत्थर आदेश दिनांक 4-3-08 से खडा किया था उसे उखाड कर खुर्द बुर्द किया है तथा इस खेल मैदान पर अतिक्रमण किया हैयह खेल मैदान अतिक्रमण से मुक्त रहे ।अप्रार्थी ने खेल मैदान से पत्थर उखाड कर न्यायालय के आदेश की अवमानना की है जिसको न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर कारावास की सजा से दण्डित किया जावे तथा सरकारी जनकल्याण की सम्पति के लिये उचित आदेश पारित किये जावे ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर ~~छो~~ किया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दौहराया । जबकि अप्रार्थी के वकील ने बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 24-3-2008 में रेस्पोंडेन्ट को पाबन्द किया है । हमारा तो उक्त आराजी पर कब्जा है हमारी तार बन्दी बनी हुई है। इन्होनेन हमारी तारबन्दी को हटाया है ।अवमानना तो ये कर रहे हैं हमने तो इनके विरूद्ध अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र ही वेग बिना किसी आधार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	के पेश किया है ।इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-75 के तहत दर्ज अपील को स्वीकार कर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण को पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जा चुका है। अब अवमानना प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं मानते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । निर्णय सुनाया गया । 9/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	